प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 757/2017

आदेश सुरक्षित किया गया : 03.07.2018

आदेश पारित किया गया : 03.10.2018

गुरुदास मल हिरवानी, पिता स्वर्गीय लक्ष्मण दास हिरवानी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गुरुनानक स्कूल, कच्छी खोली, बाबा हरदासराम नगर, सिंधी कैंप अकोला, तहसील एवं जिला अकोला, महाराष्ट्र

---- आवेदक

बनाम

श्रीमती शीला हिरवानी, पति गुरुदास मल हिरवानी,पिता ईश्वर लाल बजाज, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी सिंडी कॉलोनी, जरहाभाटा, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवाादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु : डॉ. शैलेश आहूजा, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री यू. के. एस. चंदेल,अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल

सी. ए. वी. आदेश

1. पति द्वारा यह वर्तमान पुनरीक्षण परिवार न्यायालय, बिलासपुर द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 215/2013 में पारित दिनांक 16.5.2017 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके अधीन परिवार न्यायालय ने उत्तरवादी/पत्नी के पक्ष में 12,000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण स्वीकृत किया है।

2. उत्तरवादी/पत्नी का प्रकरण यह है कि उसका विवाह दिनांक 13.12.2009 को हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार अकोला (महाराष्ट्र) में आवेदक के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह पति के साथ अकोला (महाराष्ट्र) में रहने लगी। उसे कम दहेज लाने और घटिया सामान लाने के लिए ताने दिए जाते थे। पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता भी की जाती थी। पति

उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में रुचि नहीं ले रहा था। जब उसके चचेरे भाई को इन बातों का पता चला तो वह उसे दिसंबर, 2010 में अपने साथ वापस ले गया। लगभग डेढ़ महीने तक वह अपनी मौसी के घर रही और उसके बाद फरवरी, 2011 में वह अपने माता–पिता के घर बिलासपुर चली गई। तब से वह बिलासपुर में अपने माता–पिता के घर रह रही है और उन पर निर्भर है। वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। पति अकोला (महाराष्ट्र) में आनंद कन्फेक्शनरी स्टोर्स के नाम से बेकरी चलाता है। उसके पास उस कन्फेक्शनरी स्टोर्स की कई शाखाएँ भी हैं। वह इस व्यवसाय से लगभग 1,00,000/– रुपये प्रति माह कमाता है। उसने भरण–पोषण के लिए 15,000/– रुपये प्रति माह की माँग की है।

3.आवेदक/पति ने अपने जवाब में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और अभिवचन प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी/पत्नी संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी और उसे संयुक्त परिवार छोड़कर अलग रहने के लिए विवश कर रही थी। वह उससे शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थी। दिसंबर 2010 में वह स्वयं अपने भाई के साथ उसके घर से वापस चली गई। तब से वह अपने मायके में रह रही है। उसने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके साथ आने से इनकार कर दिया। उसने अकोला (महाराष्ट्र) में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन एक आवेदन दायर किया है। आनंद कन्फेक्शनरी के नाम से चल रही दुकान का स्वामी उसका भाई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उक्त अभिवचनों के आधार पर, परिवार न्यायालय ने विवाद्यक विरचित किए और साक्ष्य अभिलेख पर लेने के बाद, दिनांक 16.5.2017 के आक्षेपित आदेश के अधीन उत्तरवादी/पत्नी के पक्ष में 12,000/– रुपये प्रति माह भरण–पोषण देने की अनुमति दी है। इसलिए, पति द्वारा इस संशोधन की मांग की गई है।

5. आवेदक/पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी/पत्नी अपनी मर्जी से पति से अलग रह रही है, इसलिए वह उससे कोई भरण–पोषण पाने की हकदार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वह अपना भरण–पोषण करने में सक्षम है और उक्त आनंद कन्फेक्शनरी स्टोर्स आवेदक/पति के स्वामित्व में नहीं है। यह आवेदक के भाई के स्वामित्व में है। इसलिए, आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं है।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी/पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी/पत्नी के साथ क्रूरता की गई। वह वर्ष 2010 से अपने माता–पिता के साथ रह रही है। आवेदक/पति ने उसे वापस लाने का कभी प्रयास नहीं किया। आवेदक द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन दायर आवेदन पहले ही खारिज किया जा चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आनंद कन्फेक्शनरी स्टोर्स का स्वामित्व आवेदक के पास है और उसने कानूनी नोटिस (प्र. पी 1) और पुलिस को दिए गए परिवाद (प्र. पी 4) में भी इस तथ्य को

स्वीकार किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त स्टोर्स का स्वामित्व आवेदक के पास ही है। इसलिए, आवेदक के पास उत्तरवादी को भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं और परिवार न्यायालय ने उत्तरवादी के पक्ष में 12,000/– रुपये प्रति माह भरण–पोषण देने का उचित आदेश दिया है।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

8. उत्तरवादी/पत्नी ने स्वयं तथा एक साक्षी विकास नागवानी से अपने पक्ष में पूछताछ की। आवेदक ने केवल स्वयं की ही पूछताछ की। पति और पत्नी दोनों ने अपने अभिवचनों के अनुरूप शपथ–पत्र पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन कथन प्रस्तुत किये हैं।

9. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच विवाह दिनांक 13.12.2009 को सम्पन्न हुआ था तथा दिसम्बर, 2010 में उत्तरवादी/पत्नी का चचेरा भाई उसे अपने साथ ले गया तथा तब से वह अपने मायके में रह रही है। जैसा कि उसने कहा है कि उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था तथा जब उसके भाई को इस बात की जानकारी मिली तो वह उसे अपने साथ ले गया। उसने यह तथ्य स्वीकार किया है कि दिसम्बर, 2010 में उसका भाई उसे अपने साथ ले गया तथा तब से वह अपने मायके में रह रही है। उत्तरवादी/पति ने यह कारण नहीं बताया है कि उत्तरवादी/पत्नी अपने ससुराल को छोड़कर मायके क्यों लौटी। यद्यपि उत्तरवादी ने यह कहा है कि उसने सिंधी समाज की पंचायत बैठक बुलाई थी, उक्त बैठक में क्या बातचीत हुई तथा बैठक में कौन–कौन लोग उपस्थित थे, यह विवरण उसने नहीं दिया है तथा न ही उसने इस संबंध में किसी साक्षी से पूछताछ की है। आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन उसके द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उसके पक्ष में पारित उक्त आदेश को बाद में निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा, उसने किसी भी साक्षी की जांच नहीं की है जिससे यह स्थापित हो सके कि उसने कभी उत्तरवादी को अपने घर वापस लाने की कोशिश की थी। इस प्रकार, साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी के पास आवेदक से अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण हैं। इसलिए, इस संबंध में परिवार न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधि के अनुसार है।

10. भरण–पोषण की राशि के संबंध में, जैसा कि उत्तरवादी/पत्नी ने तर्क दिया है, आवेदक/पति अकोला (महाराष्ट्र) में आनंद कन्फेक्शनरी स्टोर्स के स्वामी हैं और प्रति माह 100000/– रुपये कमाते हैं। अपने न्यायालय के कथन में, आवेदक/पति ने कहा है कि आनंद कन्फेक्शनरी स्टोर्स का स्वामी उसका भाई रमेश लक्ष्मण दास है। यद्यपि पंजीयन प्रमाण पत्र (प्र.डी 1) के अनुसार, उक्त स्टोर्स का स्वामी रमेश लक्ष्मण दास है, आवेदक/पति ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त पंजीयन प्रमाण पत्र (प्र.डी 1) 2016 से 2019 की अवधि के लिए जारी किया गया है। कानूनी नोटिस (प्र. पी 1) और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुलिस शिकायत (प्र.पी 4) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दोनों दस्तावेजों में आवेदक/पति ने स्वयं को आनंद कन्फेक्शनरी स्टोर्स का स्वामी बताया है। इन परिस्थितियों में, यदि आवेदक का यह तर्क है कि उक्त स्टोर का स्वामित्व और संचालन उसके भाई रमेश लक्ष्मण दास द्वारा किया जाता है, तो इसके समर्थन में रमेश लक्ष्मण दास का कथन आवश्यक है। इसी प्रकार, आवेदक ने कहा है कि वह कन्हैयालाल रंगवानी के अधीन काम करता है। लेकिन, इसके समर्थन में, उसने कन्हैयालाल रंगवानी या किसी अन्य साक्षी की जांच नहीं की है। इसलिए, यह तथ्य भी स्थापित नहीं होता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए, मैं पाता हूं कि परिवार न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही ढंग से पहुंचा है कि आनंद कन्फेक्शनरी स्टोर्स का स्वामित्व और संचालन आवेदक स्वयं करता है और इसलिए, उत्तरवादी/पत्नी के पक्ष में 12,000/– रुपये प्रति माह का भरण–पोषण अनुदान न्यायसंगत और उचित है।

11. परिणामस्वरूप, मुझे संशोधन में कोई गुणावगुण नहीं दिखता। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।

12. परिवार न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की एक प्रति के साथ तुरन्त सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु वापस भेजा जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(अरविंद सिंह चंदेल)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**